डब्लूय.ए.एन./वैबसाइट

अति महत्वपूर्ण परिपत्र/Most Important Circular

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, सैन्ट्राड, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी-110010

OFFICE OF THE CGDA, CENTRAD, BRAR SQUARE, DELHI CANTT-110010

फोन : 011,25694268, फैक्स : 25682151, ई-मेल : sascgda.dad@hub.nic.in, वैबसाइट : www.cgda.nic.in

सं. ए.एन./एस.ए.एस./16502/एम.टी.एस.-क्लर्क/अक्तूबर/2016/ए.बी./क्यू.पी. दिनांक : 29.09.2016

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकारों सहित,

सभी रक्षा लेखा नियंत्रक, एकीकृत वित्तीय सलाहकारों सहित,

प्रधान लेखा नियंत्रक (फै.) कोलकाता,

सभी वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.), मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षकों सहित

विषय एम.टी.एस. से क्लर्क ग्रेड परीक्षा, अक्तूबर 2016 के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश।

Sub. Instructions for candidates of MTS to Clerk Grade Examination, October 2016

****

एम.टी.एस. से क्लर्क ग्रेड परीक्षा का आयोजन 17 अक्तूबर 2016 को किया जा रहा है। इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशों को इस पत्र के **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न किया जा रहा है। सभी र.ले.नि./र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि.(फै.) से अनुरोध है कि अनुदेशों को डाउनलोड कर लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इनके सख्त अनुपालन हेतु इन्हें उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के ध्यान में लाया गया हो।

MTS to CLK Grade Examination is to be conducted on 17th October, 2016. In this regard, instructions for candidates are enclosed as **Annexure** with this letter. All CsDA/PCsDA/PCA(Fys.) are requested to download the instructions and ensure that the same are brought to the notice of all the candidates who are appearing in the subject examination for strict compliance.

संगीत

(संगीत)
र.ले.उप म.नि. (एस.ए.एस.)

प्रतिलिपि:

सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली कक्ष (स्थानीय) - परिपत्र को र.ले.म.नि. की वैबसाइट/डब्लूय.ए.एन. पर अपलोड करने हेतु।

(संगीत)
र.ले.उप म.नि. (एस.ए.एस.)

अनुलग्नक/ANNEXURE

शैक्षिक तौर पर अर्हक एम.टी.एस. से क्लर्क ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अक्तूबर 2016 की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES APPEARING IN EXAMINATION FOR PROMOTION OF EDUCATIONALLY QUALIFIED MTS TO THE GRADE OF CLERK OCTOBER, 2016

1. किसी भी अभ्यर्थी को :-

(क) परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटे बाद परीक्षा भवन में प्रवेश

(ख) परीक्षा आरम्भ होने के एक घंटा बाद तक परीक्षा भवन छोड़ने

की अनुमति नहीं दी जाएगी।

No candidate shall be allowed: -

(a) To enter the examination hall after half an hour of the commencement of the examination.

(b) To leave the examination hall within one hour of the commencement of the examination.

2. **प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:**

Instructions for candidates in regard to Question-cum-Answer Books:

(क) **अनुदेशों को पढ़ना और सुनना/READING AND HEARING OF INSTRUCTIONS**

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के पीछे मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथ ही, परीक्षा संचालन अधिकारी द्वारा परीक्षा आरम्भ होने से पहले बताए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक तथा धैर्यपूर्वक सुनें। संदेह ही स्थिति में इसे तत्काल संचालन अधिकारी से स्पष्ट करा लिया जाए।

Read the instructions printed on the back side of the Cover Page of the Question-cum-Answer Book carefully. Also pay attention to hear the instructions read out by the Conducting officer before start of the examination minutely and patiently. Doubt(s) if any, may be got clarified from the Conducting Officer immediately.

(ख) **अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि**

It may be ensured by the candidates that

(i) सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना/MOST VITAL INFORMATION

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के भाग 'क' तथा भाग 'ख' के खानों में दर्ज की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना केन्द्र कोड, रोल नम्बर और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं। इन्हें इस प्रकार भरा जाए:

The most vital information required to be indicated in the boxes in Part 'A' & Part 'B' of Question-cum-Answer Book are CENTRE CODE, ROLL NUMBER AND SIGNATURE OF THE CANDIDATE. These are to be filled as under:

(क) केन्द्र कोड/CENTRE CODE

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए दो अंकों वाला केन्द्र कोड आबंटित किया गया है। यदि चंडीगढ़ का केन्द्र कोड 3 है, तो इसे खाने में 03 लिखा जाना चाहिए, ना कि 3.

Centre Code is allotted for each examination centre having two digits. If the Central Code of Chandigarh is 3, this should be written in the boxes as 03 and not 3 only.

(ख) **श्रेणी/CATEGORY**

भाग 'ख' के खाने में अभ्यर्थी द्वारा सामा. (सामान्य श्रेणी के लिए) अथवा अनु.जा. या अनु.जन.जा. (आरक्षित श्रेणी के लिए), जैसा लागू हो, भरा जाए। अन्य पिछला वर्ग के लिए अलग से कोई श्रेणी नहीं है और उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माना जाएगा।

The box in Part 'B' should be filled up by the candidate(s) as Gen (For General Category) or SC or ST as the case may be (For reserved category). There is no separate category for OBC and they will be treated as General Category candidates.

(ग) **रोल नम्बर/ROLL NUMBER**

अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में भाग लेने के लिए आबंटित किया गया रोल नम्बर भरा जाए।

The Roll Number allotted for appearing in the Exam should be filled by the candidates.

(घ) **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/SIGNATURE OF THE CANDIDATE**

अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा हस्ताक्षर नियत खाने में ही किया जाए।

Candidates must ensure that they put their signature in the specified box without fail.

(ग) अभ्यर्थी यह अवश्य ही सुनिश्चित कर लें कि कवर पृष्ठ के भाग 'क' तथा भाग 'ख' में खाने समुचित रूप से भर गए हों। वे स्वंय यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने उपर्युक्तानुसार खाने सही रूप में भरे हैं।

(c) **The candidates are to strictly ensure that the boxes in Part 'A' & Part 'B' of the cover page are appropriately filled. They should see for themselves that they have filled up the boxes correctly as above.**

(घ) **अन्य महत्वपूर्ण पहलू/OTHER IMPORTANT ASPECTS**

(i) रोल नम्बर केवल कवर पृष्ठ के भाग 'ख' में ही भरा जाए, ना कि प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में किसी अन्य स्थान पर।

Roll Number is to be put only on Part 'B' of Cover Page, nowhere else in Question-cum-Answer Book.

(ii) **नियत स्थान के अतिरिक्त रोल नम्बर लिखना अथवा किसी भी प्रकार से पहचान का खुलासा करना जैसे नाम, लेखा संख्या, कार्यालय का पता आदि लिखना और कोई ऐसी चीज लिखना जिसका पूछे गए उत्तर से कोई संबंध नहीं है अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट निशान लगाना पूर्ण रूप से वर्जित हैं। ऐसे किसी भी प्रयास को अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। उपर बताए गए किसी भी अवांछनीय विवरण को लिखना और बाद में उसे काटना भी पूर्णतः वर्जित है।**

Writing of Roll No. or disclosure of identity in any form i.e. Name, A/c No., Office Address etc. and anything unconnected with the answers asked for or making any distinct markings in the Question-cum-Answer Book is strictly prohibited. Any such instance will be viewed as recourse to unfair means and disqualification from the examination. Writing any unwarranted details mentioned above and then cutting/scoring it is also strictly prohibited.

(iii) अभ्यर्थी द्वारा उत्तर, प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए स्थान में ही दिया जाए। किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे उत्तर के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

Candidates are required to write the Answer in the space provided below each of the Question in Question-cum-Answer book. The Answer written in any other space shall not be evaluated. No marks shall be awarded to such answers.

(iv) अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के भाग 'ख' के अलावा किसी अन्य स्थान पर हस्ताक्षर किया जाना पूर्णतः वर्जित है।

Putting their signatures except in Part 'B' of Answer Book by the candidate elsewhere in the Answer Book is strictly prohibited.

(v) अभ्यर्थी अपना उत्तर उनके द्वारा प्रयुक्त विकल्प/मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी में ही दे सकते हैं। विकल्प के तौर पर चयनित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। **यदि उत्तर आंशिक तौर पर एक भाषा में तथा आंशिक तौर पर दूसरी भाषा में लिखे जाते हैं तो ऐसे उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।**

The candidates are required to answer the questions either in English or in Hindi as per the option exercised by them/permitted by the HQrs. office. No marks will be awarded for answer written in a language other than the one opted. **If answers are written partly in one language and partly in another language, such answer script will not be evaluated and awarded ZERO Marks.**

(vi) कोई अतिरिक्त शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। रफ कार्य, यदि कोई हो, तो उसे प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में दिए गए अतिरिक्त स्थान (अंतिम पृष्ठ) पर किया जाए।

No Additional sheets will be provided. Rough work, if any is to be done on spare space (last page) in the question cum answer booklet.

3. अभ्यर्थी उस समय तक अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे जब तक वे संचालन अधिकारी/पर्यवेक्षक को प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका न सौंप दें। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका को संचालन अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा वास्तव में अपने अधिकार में ले लिया गया है। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका को मेज़ पर छोड़ना और परीक्षा भवन से प्रस्थान को **प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका सौंपना** नहीं माना जाएगा।

Candidates should not leave their seats unless they handover their Question-cum-Answer Books to the Conducting Officer/ Invigilator. They should ensure before leaving the Examination Hall that the Question - cum - Answer Books have actually been taken possession by the Conducting Officer/Invigilators. Leaving the Question-cum-Answer Books on the table and quitting the Examination Hall will not be regarded as **HANDED OVER**.

4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिकाएं संचालन अधिकारी/पर्यवेक्षक को प्रत्येक पेपर के आबंटित समय-सीमा के भीतर अवश्य अभ्यर्पित कर दी जाएं।

The Question-cum-Answer Books must be surrendered by the candidates to the Conducting Officer/Invigilator within the time allowed for each Paper.

5. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कदाचार, जैसे अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से नकल करना अथवा दूसरे अभ्यर्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका से नकल करने की अनुमति देना अथवा अपने पास अप्राधिकृत किताबें/नोट्स रखना अथवा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में जांचकर्ता को प्रभावित करने का प्रयास करना, किसी भी रूप में अपनी पहचान का खुलासा करना आदि में संलिप्त पाया जाता है तो उसे न केवल वर्तमान परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, अपितु उसे भविष्य में भी विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने के लिए बहिष्कृत किया जाएगा। साथ ही, वह पूर्ण सत्यनिष्ठा का पालन न करने के लिए सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भी भागी होगा।

Any candidate who is found indulging in any malpractice, such as copying from other candidate's Answer Books or allowing other candidates to copy from his/her Answer Book or being found in possession of unauthorized books/notes or attempting to influence an examiner in regard to evaluation of his/her answer books etc. including disclosing identity in any form will not only be disqualified for present examination but will also be debarred from appearing in future departmental Examination and in addition, is liable for disciplinary proceedings under the CCS (CCA) Rules, 1965 for non-maintenance of absolute integrity.

***